



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद-201012



पत्र सं०-

15204

/स०प्र० गाजि०/

दिनांक-

27.8.16

मांग पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री :-

GAYA PRASAD

पुत्र/पुत्री/पत्नी :-

GANESHI DASS

निवासी :-

BUNGALOW 35, SECTOR 5B, BHEL
TOWNSHIP,
RANIPUR, HARIDWAR, Uttarakhand, -249403

विषय:- मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवास योजना के अर्न्तगत गुलमोहर एन्कलेव
आवासीय परियोजना 2016 के अर्न्तगत फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या- 6003901 द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के गुलमोहर एन्कलेव आवासीय योजना में 02BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन भुगतान विकल्प- 'स' स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि के रूप में ₹0-37600.00 जमा किये गये हैं। फ्लैट की अनुमानित लागत ₹0-1880000.00 में पंजीकरण धनराशि समयोजित के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करे।

1

1	दिनांक 30.9.2016 तक (अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत)	₹0-94400.00
2	₹0-23225.00 की 36 मासिक किश्तें प्रथम किश्त दिनांक 1.10.2016 से देय होगी, जिसका भुगतान उस माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है।	₹0-23225.00

उक्त धनराशि का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-52331171000074 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद एवं ' ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-11871131002609 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद UPAVP GHAZIABAD के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसों में पीली पर्ची पर जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। किश्तों के विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

NEFT/RTGS के माध्यम से भी धनराशि जमा की जा सकती है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

बैंक का नाम	RTGS/NEFT Code	खाता संख्या एवं खाते का नाम
ओ०बी०सी० बैंक सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद अथवा	ORBC0105233	52331171000074 / (UPAVP, GZB)
ओ०बी०सी० बैंक ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार गाजियाबाद	ORBC0101187	11871131002609 / (UPAVP, GZB)

कृ०प०उ०.....2/-



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद-201012



पत्र सं०-

15297

/स०प्र० गाजि०/

दिनांक- 27.8.16.

मांग पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री :-

NIRUPAM SHARMA

पुत्र/पुत्री/पत्नी :-

YOGESH CHANDRA SHARMA

निवासी :-

VILL & PO SEONDARA, TEHSIL BILARI
DIST MORADABAD, MORADABAD, Uttar
Pradesh, -244411

विषय:- मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवास योजना के अर्न्तगत गुलमोहर एन्कलेव आवासीय परियोजना 2016 के अर्न्तगत फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या- 6003589 द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के गुलमोहर एन्कलेव आवासीय योजना में 02BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन भुगतान विकल्प-‘ब’ स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि के रूप में ₹0-37600.00 जमा किये गये हैं। फ्लैट की अनुमानित लागत ₹0-1880000.00 में पंजीकरण धनराशि समयोजित के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	किश्त संख्या	धनराशि	अन्तिम देय तिथि
1	प्रथम एकमुश्त	₹0-94400.00	30.9.2016
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	28.10.2016
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.1.2017
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	30.4.2017
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.7.2017
6	पंचम त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.10.2017
7	षष्ठम् त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.1.2018
8	सप्तम् त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	30.4.2018
9	अष्टम् त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.7.2018
10	नवम् त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.10.2018
11	दशम् त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	31.1.2019
12	एकादश त्रैमासिक किश्त	₹0-158950.00	30.4.2019

उक्त धनराशि का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-52331171000074 एवं 'ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-11871131002609 में 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद UPAVP GHAZIABAD के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसों में पीली पर्ची पर जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा। NEFT/RTGS के माध्यम से भी धनराशि जमा की जा सकती है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

बैंक का नाम	RTGS/NEFT Code	खाता संख्या एवं खाते का नाम
ओ०बी०सी० बैंक सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद अथवा	ORBC0105233	52331171000074 / (UPAVP, GZB)
ओ०बी०सी० बैंक ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार गाजियाबाद	ORBC0101187	11871131002609 / (UPAVP, GZB)

कृ०प०उ०.....2/-

//2//

अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त फ्लैट का अन्तिम प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। जिसके अनुसार फ्लैट की लागत का 15 प्रतिशत एकमुश्त एवं शेष धनराशि की ब्याज सहित 84 मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। प्रथम किश्त जमा कराने के पश्चात् किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित कराकर फ्लैट का कब्जा देय होगा। सम्पत्ति का विक्रय विलेख पूर्ण मूल्य जमा कराने के पश्चात् परिषद / शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि ₹0-37600.00 का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि ₹0-37600.00 का 50 प्रतिशत की दर से कटौती कर उनका पंजीकरण तथा पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। वाछित प्रपत्रों के साथ रिफण्ड बाउचर प्राप्त होने पर बिना ब्याज अवशेष धनराशि वापस की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य को सम्पत्ति आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्स की दरों में परिवर्तन की दशा में अन्तर धनराशि आवंटि द्वारा वहन की जायेगी।

सूचित मूल्य अनुमानित है। सम्पत्ति संख्या एवं तल का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा एवं मूल्यांकन स्वीकृत होने के पश्चात् फ्लैट का वास्तविक मूल्य एवं पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित स्वीकृत अन्य देय धनराशि का भुगतान परिषद खाते में करना होगा। मांग पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशि का समायोजन प्रदेशन पत्र में किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका/परिषद विनियमों के अनुसार लागू होगी एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम मान्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय



(केशव राम)

सम्पत्ति प्रबन्धक

अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त जमा धनराशि के समायोजन पश्चात् फ्लैट का अन्तिम प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय विलेख पूर्ण मूल्य जमा कराने के पश्चात् परिषद / शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि ₹0-37600.00 का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि ₹0-37600.00 का 50 प्रतिशत की दर से कटौती कर उनका पंजीकरण तथा पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। वाछित प्रपत्रों के साथ रिफण्ड बाउचर प्राप्त होने पर बिना ब्याज अवशेष धनराशि वापस की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य को सम्पत्ति आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्स की दरों में परिवर्तन की दशा में अन्तर धनराशि आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

सूचित मूल्य अनुमानित है। सम्पत्ति संख्या एवं तल का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा एवं मूल्यांकन स्वीकृत होने के पश्चात् फ्लैट का वास्तविक मूल्य एवं पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित स्वीकृत अन्य देय धनराशि का भुगतान परिषद खाते में करना होगा। मांग पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशि का समायोजन प्रदेशन पत्र में किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका/परिषद विनियमों के अनुसार लागू होगी एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम मान्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय



(केशव राम)

सम्पत्ति प्रबन्धक